

संख्या: 312329 /XXIV-A-1/2025/39646/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन्,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड

देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक: 08 जुलाई, 2025

विषय: द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शि0शि0 सेवापूर्व/1913/दो-1(92)/ 2025-26 दिनांक 06 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजित कराये जाने हेतु समसामयिक शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के सम्यक् परीक्षणोपरान्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 433/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 16-08-2019, शासनादेश संख्या 1028/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 21-10-2019, शासनादेश संख्या 1389/XXIV-A-1/2020/02/2018 दिनांक 11-01-2021 एवं शासनादेश संख्या 173/XXIV-A-1/2021/ 02/2018 दिनांक 24-01-2022, शासनादेश संख्या 25034/2022 दिनांक 25 मार्च 2023 शासनादेश सं0-BESI-MISI/25.1/103/2022-XXIV-A-1-Basic Educator Department दिनांक 07 अक्टूबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 215366/XXIV-A-1/2024-39646/2022 दिनांक 04-06-2024 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-230553/XXIV-A-1/2024-39646/2022 दिनांक 06 अगस्त 2024 में उल्लिखित प्रावधानों में कतिपय संशोधन करते हुए राज्य में संचालित 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50 प्रशिक्षु प्रति डायट के अनुसार 650 प्रशिक्षणार्थियों को द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 परीक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों हेतु नियन्त्रक प्राधिकारी-द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन करने व राज्य के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे।

2. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता-

(क) कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 एवं अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 28.06.19 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड लोक

सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली 2019 के द्वारा संशोधित नियम-4 उपनियम (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिए अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे;

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। के अनुसार अभ्यर्थी द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों का आवंटन उसके द्वारा दिए गये विकल्पों की वरीयतानुसार किया जायेगा। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों में प्रशिक्षण हेतु विकल्प भरने होंगे।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानोत्तर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।

(घ) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित कुल सीटों के 50 प्रतिशत में विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत में विज्ञानोत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।

बी.एस.सी. योग्यताधारी एवं कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु विज्ञान वर्ग तथा बी.ए. योग्यताधारी एवं वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थियों को विज्ञानोत्तर वर्ग में रखा जायेगा तथा बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के वर्ग का निर्धारण उनके

इण्टरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जायेगा। इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं, विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। इण्टरमीडिएट वाणिज्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं, विज्ञानेत्तर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(ड.) कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical – Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। शासनादेश संख्या 1028/XXIV (1)/2019/02/2018, दिनांक 21-10-2019 एवं शासनादेश संख्या 1389/XXIV(1)/2020/02/2018, दिनांक 11-01-2021 के बिन्दु संख्या-2-2(ग) के अनुपालन में “श्रेणी, वर्ग एवं उप वर्गवार सीटों का वर्गीकरण करते हुए सम संख्या आने पर उसे बराबर विषयों में विभाजित कर दिया जायेगा एवं विषम संख्या आने पर उसकी पूर्ति चक्रानुक्रम से श्रेणी के अनुसार आगामी प्रवेश परीक्षा में पूर्ति कर दी जायेगी। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की भांति ही क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में भी सीटों का निर्धारण किया जायेगा।”

(च) अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

(छ) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण स्ववित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष रु. 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रु. 850.00 (आठ सौ पचास रुपये मात्र) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

3. चयन का आधार :

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

4. लिखित परीक्षा :

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक योग्यताधारी से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ.एम.आर. शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा संस्था :

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत गठित विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ही विज्ञापित सीटों के सापेक्ष, श्रेणीवार, वर्गवार तथा आरक्षणानुसार पृथक-पृथक सूची तैयार कर अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगा। अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों के वरीयता क्रमानुसार जनपद आवंटन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवायी जाएगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना :

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक-पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया सम्पादन के उपरान्त वास्तविक रूप से रिक्त रही सीटों की संख्या के सापेक्ष विज्ञान/विज्ञानेतर वर्ग में ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी। जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा।

योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन राज्य स्तर पर आयोजित काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को योग्यता सूची में प्राप्तांकों के अवरोही क्रमानुसार, काउंसिलिंग के समय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपदों के विकल्प भरवाकर, अभ्यर्थी के द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण हेतु जनपद आवंटित किए जायेंगे।

(ख) चयनित अभ्यर्थियों की सूची को आवंटित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा।

7. राज्य स्तर डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठन :

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी:-

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण प्राधिकारी | अध्यक्ष / परीक्षा नियन्त्रक |
| 2 | अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. | सदस्य / सचिव |
| 3 | सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी | सदस्य |
| 4 | निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी-2 का अधिकारी (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. से सम्बन्धित) | सदस्य |
| 5 | निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित संयुक्त/उप निदेशक स्तर का सेवा-2 पटल का अधिकारी | सदस्य |

8. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवर्षीय अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित कराया जाएगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आंतरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क :

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी -

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए - रु. 600.00
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए- रु. 300.00
3. सभी वर्गों के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए - रु. 150.00

10. अन्य नियम :

(क) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र

फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

(ख) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(ग) वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी अन्य महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में तत्समय शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षुओं का कक्षा-कक्ष शिक्षण ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है।

11. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु समय सारणी :

प्रत्येक वर्ष द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पादित की जायेगी –

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित समय
1	द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका तैयार करना।	माह जुलाई-अगस्त 2025
2	विज्ञप्ति जारी करने की तिथि (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)	माह सितम्बर 2025
3	आवेदकों का डाटा तैयार करना, परीक्षा केन्द्र, प्रवेश पत्र निर्माण एवं अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह अक्टूबर-नवंबर, 2025
4	परीक्षा की तिथि (प्रस्तावित)	22 नवंबर, 2025 चतुर्थ शनिवार
5	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	दिसंबर 2025- जनवरी 2026
6	सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन हेतु कॉउंसिलिंग की अवधि	जनवरी -फरवरी 2026
7	प्रतीक्षा सूची जारी करना	माह फरवरी-मार्च 2026
8	सत्र प्रारम्भ	माह मार्च-अप्रैल 2026

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 08-07-2025
12:58:49

भवदीय,
(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या: 312329 /XXIV-A-1/2025/39646/2022 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ननूरखेडा, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
BHUPENDRA SINGH BORA आज्ञा से,
Date: 08-07-2025
15:43:09

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

